उत्तर प्रदेश शासन
न्याय अनुभाग-3(नियुक्तियॉ)
संख्या-डी-1119(2)/सात-न्याय-3-2021-24/2006
लखनऊ: दिनांक 08 नवम्बर, 2021

**नोटिस**

नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का संख्यांक 53) की धारा-15 के अन्तर्गत बनाये गये नोटरी नियम, 1956 (यथा संशोधित) के अधीन उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों/तहसीलों में नोटरी के रिक्त पदों के सापेक्ष नियुक्ति हेतु अर्हता रखने वाले विधि व्यवसायीगण/अधिवक्तागण से निर्धारित प्रारूप पर विज्ञप्ति संख्या-डी-1119/सात-न्याय-3-2021-24/2006, दिनांक 26.10.2021 द्वारा नियत प्रारूप पर पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदनपत्र प्रमुख सचिव, न्याय, उ0प्र0 शासन, बहुखण्डी भवन, सचिवालय, लखनऊ के कार्यालय में दिनांक 10 नवम्बर, 2021 को सायं 5.00 बजे तक रजिस्टर्ड डाक/ स्पीड पोस्ट के माध्यम से स्वीकार किये जाने हेतु आमंत्रित किये गये हैं।

2- उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में नियत प्रारूप पर पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदनपत्र प्रमुख सचिव, न्याय, उ0प्र0 शासन, बहुखण्डी भवन, सचिवालय, लखनऊ के कार्यालय में दिनांक 22 नवम्बर, 2021 को सायं 5.00 बजे तक रजिस्टर्ड डाक/ स्पीड पोस्ट के माध्यम से स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

इस प्रकार उक्त आवेदन स्वीकार किये जाने की अंतिम तिथि दिनांक 22 नवम्बर, 2021 को सायं 5.00 बजे तक निर्धारित की जाती है।

(प्रमोद कुमार श्रीवास्तव-।।)
प्रमुख सचिव,न्याय एवं विधि परामर्शी
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-डी-1119(3)/ सात-न्याय-3-21 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ कि आप सभी संबंधित बार एसोसियेशन/ मा0 न्यायालयों से संबंधित अर्ह विधि व्यवसायीगण/ अधिवक्तागण के मध्य इसे व्यापक रूप से प्रसारित करें:-

(1) महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
(2) वरिष्ठ निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ।
(3) समस्त जनपद न्यायाधीश, उ0प्र0।
(4) सचिव, बार काउंसिल उ0प्र0।
(5) समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(प्रफुल्ल कमल)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in